भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या– 940
दिनांक 05/12/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नये राजनयिक मिशन और वाणिज्य दूतावास

940. **श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:**
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्रीमती भारती पारधी:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित नए राजनयिक मिशनों और वाणिज्य दूतावासों की संख्या कितनी है और वे कौन-कौन से देशों में स्थित हैं;
(ख)निवास करने वाले प्रवासी भारतीयों, आर्थिक अवसरों अथवा भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं सहित इन देशों का चयन करने का रणनीतिक औचित्य क्या है;
(ग) साथ ही बजट आवंटन, अवसंरचना और मानव संसाधन नियोजन सहित इन मिशनों को स्थायी रूप से संचालित करने के लिए अपनाया गया मॉडल क्या है; और
(घ) इस प्रकार का विस्तार भारत की वैश्विक दृश्यता को बढ़ाने, विदेशों में भारतीय नागरिकों की सहायता करने और एक उत्तरदायी विकास भागीदार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अग्रणी के रूप में भारत की छवि में किस प्रकार योगदान देता है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) वित्त वर्ष 2025 में, क्विटो (इक्वाडोर) में 01 नया मिशन स्थापित किया गया है और बोस्टन (यूएसए), लॉस एंजिल्स (यूएसए), कज़ान (रूस) और येकातेरिनबर्ग (रूस) में 4 नए कोंसलावास स्थापित किए गए हैं।
(ख से घ) विदेश मंत्रालय समय-समय ऐसे देशों में आवासी मिशन स्थापित करने के प्रस्ताव तैयार करता है, जहां कोई भारतीय मिशन मौजूद नहीं हैं। मंत्रालय अपने दायरे का विस्तार करने और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए भी नए कोंसलावासों की स्थापना करता है। सरकार का समग्र विदेश नीति दृष्टिकोण विदेशों में भारत की उपस्थिति को इष्टतम तरीके से बढ़ाना है। हमारी विदेश नीति का उद्देश्य मित्र देशों के साथ साझेदारी के माध्यम से भारत की प्रगति और विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना भी है। रणनीतिक सहयोग को घनिष्ठ बनाने की संभावना; द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के लिए मजबूत क्षमता; बड़ी संख्या में प्रवासियों की उपस्थिति; बहुपक्षीय मंचों पर राजनीतिक पहुंच को बढ़ावा देना; और महत्वपूर्ण देशों/क्षेत्रों आदि के साथ राजनयिक संपर्क को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकेत देने के प्रयोजन से आवासी मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है। विदेशों में मिशनों और कोंसलावासों की स्थापना का निर्धारण उपलब्ध वित्तीय और मानव संसाधनों के भीतर भारत के समग्र रणनीतिक हित द्वारा किया जाता है।

*****